अध्याय-II
वृक्षारोपण गतिविधियों का नियोजन एवं कार्यान्वयन

अध्याय-II

वृक्षारोपण गतिविधियों का नियोजन एवं कार्यान्वयन

वन विभाग समय पर कार्य योजनाओं को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने में विफल रहा एवं वैध कार्य योजनाओं के बिना कार्य किया तथा वृक्षारोपण में कार्य योजनाओं के निर्देशों का पालन करने में भी विफल रहा। अग्रेतर, ग्राम्य विकास विभाग ने शासनादेश के अनुरूप वृक्षारोपण हेतु कार्य योजनाएँ तैयार नहीं की।

वन विभाग ने वन भूमि के व्यपवर्तन के सापेक्ष किए गए वृक्षारोपण और पहले के वृक्षारोपण के मृत पौधों के प्रतिस्थापन में उपयोग किए गए पौधों को सम्मिलित करने के कारण वृक्षारोपण के वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि को गलत ढंग से प्रस्तुत किया। ग्राम्य विकास विभाग (ग्रा.वि.वि) द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत किए गए वृक्षारोपण में 2016–17 से 2021–22 के दौरान मृत्यु दर अधिक थी।

प्रस्तावना

2.1 वन विभाग के अपने बजट के अतिरिक्त, गैर–वन उपयोग हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के विरूद्ध प्रतिपूरक वनीकरण (सीए), अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण और दण्डात्मक प्रतिपूरक वनीकरण के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों (यूएज) से निधियाँ प्राप्त की जाती है। ऐसी निधियाँ वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य कैम्पा के पास जमा की जाती हैं। इन निधियों का उपयोग भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक प्रचालन योजना (एपीओ) के अनुसार वृक्षारोपण हेतु किया जाता है। कैम्पा निधि से किया जाने वाला व्यय स्थल विशिष्ट होगा और इसका उद्देश्य राज्य के वनों का संरक्षण करना होगा। अग्रेतर, वृक्षारोपण के लिए ग्राम्य विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.) के पास मनरेगा निधि भी उपलब्ध होती है।

2016–17 से 2021–22 के दौरान राज्य में वृक्षारोपण की स्थिति

2.2 राज्य में वर्ष 2016–17 से 2021–22 तक की लेखापरीक्षा अवधि के वृक्षारोपण गतिविधियों की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति **तालिका 2.1** में वर्णित है।

तालिका 2.1: वृक्षारोपण का वर्ष–वार लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	वन विभाग (लाख में)		अन्य विभाग (जैसे, ग्राम्य विकास, पंचायती राज विभाग आदि) (लाख में)		कुल वृक्षारोपण (लाख में)		कुल वृक्षारोपण के सापेक्ष वन विभाग का निर्धारित लक्ष्य (प्रतिशत में)	कुल वृक्षारोपण के सापेक्ष अन्य विभागों के लिये निर्धारित लक्ष्य (प्रतिशत में)	वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण पर व्यय (₹ करोड़ में)
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि			
2016-17	500.00	508.46	100.00	110.68	600.00	619.14	83.33	16.67	357.19
2017-18	430.00	452.99	224.58	224.58	654.58	677.57	65.69	34.31	174.19
2018-19	429.51	472.20	695.61	705.01	1,125.12	1,177.21	38.17	61.83	265.94
2019-20	700.00	662.26	1,555.00	1,597.60	2,255.00	2,259.86	31.04	68.96	500.23
2020-21	900.00	1,016.72	1,600.00	1,570.75	2,500.00	2,587.47	36.00	64.00	490.23
2021-22	1,080.00	1,106.00	1,920.00	1,951.00	3,000.00	3,057.00	36.00	64.00	455.12
योग	**4,039.51**	**4,218.63**	**6,095.19**	**6,159.62**	**10,134.70**	**10,378.25**			**2,242.90**

स्रोतः वन विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति, 2017 के लागू होने से पूर्व वर्ष 2016–17 में वन विभाग के लिये वृक्षारोपण का लक्ष्य राज्य के कुल लक्ष्य का 83 प्रतिशत निर्धारित किया गया था जो धीरे–धीरे कम होकर 2021–22 में 36 प्रतिशत हो गया, जबकि इसी अवधि में अन्य विभागों का लक्ष्य 17 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान वन विभाग एवं ग्रा.वि.वि. के नमूना जाँच किये गए 22 जिलों में वृक्षारोपण का लक्ष्य एवं उपलब्धि के सापेक्ष उनपर किये गए व्यय को **तालिका 2.2** में दिया गया है।

तालिका 2.2: 2016–17 से 2021–22 के दौरान 22 चयनित जिलों में वृक्षारोपण का लक्ष्य/उपलब्धि

क्र. सं.	वर्ष	लक्ष्य (लाख में)		उपलब्धि (लाख में)		उपलब्धि (प्रतिशत में)		व्यय (₹ करोड़ में)	
		वन	ग्रा.वि.वि.	वन	ग्रा.वि.वि.	वन	ग्रा.वि.वि.	वन	ग्रा.वि.वि.
1	2016-17	200.25	28.46	204.43	28.29	102.09	99.40	145.77	08.60
2	2017-18	185.99	29.95	195.23	29.49	104.97	98.46	68.35	08.92
3	2018-19	168.65	105.83	181.84	104.02	107.82	98.29	94.48	30.00
4	2019-20	224.36	283.18	230.60	280.62	102.78	99.10	185.01	43.24
5	2020-21	372.00	293.00	375.92	290.73	101.05	99.23	181.31	46.68
6	2021-22	403.28	375.68	410.96	369.34	101.90	98.31	166.11	44.83
योग		**1554.53**	**1,116.10**	**1,598.98**	**1,102.49**	**103.43**	**98.79**	**841.03**	**182.27**

स्रोतः वन विभाग एवं चयनित जनपदों के उप आयुक्त, मनरेगा द्वारा प्रदत्त सूचना

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान 22 चयनित जिलों में वन विभाग ने वृक्षारोपण लक्ष्य प्राप्त कर लिया जबकि ग्रा.वि.वि. इसे प्राप्त नहीं कर सका।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.3 लेखापरीक्षा ने वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान वन विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा की गयी वृक्षारोपण गतिविधियों के नियोजन एवं कार्यान्वयन में कई कमियाँ देखीं। लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा अनुगामी प्रस्तरों में की गयी है।

वनीकरण का नियोजन एवं प्रबन्धन

2.4 राष्ट्रीय वन नीति (एनएफपी), 1988 में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के बिना किसी भी वन में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी), भारत सरकार द्वारा निर्गत राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता (एनडब्ल्यूपी कोड), 2014 भी निर्धारित करती है कि सभी वनों को कार्य योजना/स्कीम के निर्देशों के अन्तर्गत सतत् रूप से प्रबंधित किया जाना है।

एनडब्ल्यूपी कोड, 2014 के प्रस्तर 31 में प्रावधान है कि सामान्यतः वन प्रभाग की कार्य योजना को प्रत्येक दस वर्षों में संशोधित किया जाना चाहिए तथा वन प्रभाग की कार्य योजना को तैयार होने में सामान्यतः दो वर्ष लगने चाहिए। कोड के प्रस्तर 2 के अनुसार, कार्य योजना में किसी विशिष्ट वन प्रभाग में वनों के कुशल प्रबंधन के लिए क्षेत्र विशिष्ट वैज्ञानिक निर्देश सम्मिलित रहते है। कोड का प्रस्तर 3 यह प्रावधानित करता है कि वन क्षेत्र के प्रबन्धक या स्वामी का कर्तव्य है कि कार्य योजना/स्कीम बनाना सुनिश्चित करे। अग्रेतर, कोड का प्रस्तर 56 निर्धारित करता है कि पीसीसीएफ (विभागाध्यक्ष) द्वारा प्रारंभिक कार्य योजना रिपोर्ट (पीडब्ल्यूपीआर) की स्वीकृति वर्तमान कार्य योजना की समाप्ति से कम से कम दो वर्ष पूर्व दी जानी चाहिए, ताकि कार्य योजना अधिकारी द्वारा कार्य योजना की तैयारी, नामित प्राधिकारी (आरएपीसीसीएफ[1], एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार) द्वारा अनुमोदन एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय डीएफओ को वर्तमान योजना की समाप्ति से पूर्व अनुमोदित कार्य योजना को सौंपा जा सके। अग्रेतर, कार्य योजना का विस्तार जिसे कार्य स्कीम कहा जाता है को भी एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें कार्य योजना के सभी प्रमुख तत्व सम्मिलित हैं।

आरम्भ में, पीसीसीएफ–अनुश्रवण एवं कार्य योजना (पीसीसीएफ–कार्य योजना) के अधीन कार्य योजना प्रभाग, सम्बन्धित प्रभागों के इनपुट से प्रभाग–वार पीडब्ल्यूपीआर तैयार करते हैं। पीसीसीएफ–कार्य योजना पीडब्ल्यूपीआर की जाँच करता है और ड्राफ्ट कार्य योजना को अंतिम स्वीकृति के लिए एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार को प्रेषित करता है। एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार द्वारा कार्य योजना के अनुमोदन

[1] क्षेत्रीय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक।

के नियम एवं शर्तो के अनुसार, राज्य सरकार पर्याप्त बजटीय प्रावधान सुनिश्चित करेगी ताकि कार्य योजना के निर्देश समय से और प्रभावी ढंग से लागू किए जाएं तथा निधि की कमी के कारण कोई विचलन न हो।

कार्य योजनाओं की प्रस्तुति में विलम्ब

2.5 प्रस्तर 2.4 में चर्चा किए गए एनडब्ल्यूपी कोड, 2014 के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार, कार्य योजना/कार्य स्कीम को चालू कार्य योजना की वैधता अवधि की समाप्ति से पूर्व समय पर अनुमोदित किया जाना आवश्यक था क्योंकि यह वन क्षेत्र का आवश्यक विवरण, स्टाक की सूची सहित प्रबन्धन की सर्वोत्तम प्रणाली एवं विभिन्न प्रकार के वनों में अपनायी जाने वाली सिल्विकल्चर प्रणाली को प्रस्तुत करता है।

22 चयनित जिलों की क्षेत्रीय अधिकारिता में आने वाले 27 वन प्रभागों के अभिलेखों की जाँच में लेखापरीक्षा ने देखा कि 12 प्रभागों के कार्य योजना/कार्य स्कीम बिना अनुवर्ती कार्य योजना/कार्य स्कीम के पूर्व अनुमोदन के वर्ष 2013–14 एवं 2018–19 के मध्य अवधि के दौरान समाप्त हो गयी थी। अनुवर्ती कार्य योजना/कार्य स्कीम के अनुमोदन में 21 दिनों से 2,302 दिनों[2] की सीमा तक विलम्ब हुआ। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर देखा कि कार्य योजना/कार्य स्कीम के अनुमोदन में विलम्ब मुख्य रूप से वन विभाग द्वारा एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार को इन प्रभागों के कार्य योजना/कार्य स्कीम को प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण हुई, जो पूर्ववर्ती कार्य योजना/कार्य स्कीम की समाप्ति से 35 दिनों से 2,657 दिनों की सीमा तक थी, जैसा कि **परिशिष्ट–2.1** में वर्णित है।

इस प्रकार, 12 वन प्रभागों ने अपने क्षेत्राधिकार के अधीन वन का प्रबंधन 21 दिनों से 2,302 दिनों की सीमा तक बिना वैध कार्य योजना/कार्य स्कीम के, वन के सतत् प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए किया।

उत्तर में, (अप्रैल 2023) विभाग ने बताया कि कार्य योजना/कार्य योजना के विस्तार के प्रस्ताव को अनुमोदन मिलने में समय लगा क्योंकि सम्बन्धित मण्डल के मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक प्रशासनिक मुखिया के तौर पर सौंपे गए कर्तव्य के साथ–साथ कार्य योजना अधिकारी के कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। विभिन्न चरणों में कठोर प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् प्रस्तावों को प्रस्तुत एवं अनुमोदित किया जाता है। जानबूझकर कोई देरी नहीं की गयी। विभाग ने अग्रेतर कहा कि कार्य योजना के विस्तार को अनुमोदित करते समय कार्यवाही में सम्मिलित अवधि को भी अनुमति दी जाती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एनएफपी, 1988 के अनुसार किसी भी वन में अनुमोदित कार्य योजना/कार्य स्कीम के बिना कार्य करने की अनुमति नहीं है। कार्य योजनाएँ वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण होती है और पीसीसीएफ के विशेष ध्यान की अपेक्षा रखती है। कार्य योजना अधिकारी की जिम्मेदारी को वन प्रभाग के क्षेत्रीय डीएफओ/सीएफ को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है तथा एनडब्ल्यूपी कोड, 2014 के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्तमान कार्य योजना की समाप्ति से कम से कम दो वर्ष पूर्व पीसीसीएफ (विभागाध्यक्ष) द्वारा पीडब्ल्यूपीआर का अनुमोदन दिया जाना चाहिए।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वृक्षारोपण हेतु कार्य योजना नहीं तैयार किया जाना

2.6 उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) के 2016–17 से 2021–22 के दौरान वर्ष–वार लक्ष्य तय करने के आदेशों[3] में प्रावधान किया गया है कि वृक्षारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति के

---

[2] 1 अक्टूबर से गणना की गयी क्योंकि कार्य योजना/कार्य स्कीम अपने समापन वर्ष के 30 सितम्बर तक प्रभावी होती है।

[3] शा0सं0–01/2016/490(1)/14-5-16 दिनांक 30 मार्च 2016, शा0सं0–1343/14-5-2017-31/2014 दिनांक 23 जून 2017, संख्या–1024-14-5-2018-187/2018 दिनांक 12 जुलाई 2018, संख्या–11/2018/1359/14-5-2018-187/2017 दिनांक 6 अक्टूबर 2018 एवं संख्या–881/81-5-2019-03/2019 दिनांक 21 नवम्बर 2019।

लिए, कार्यान्वयन विभागों द्वारा वृक्षारोपण स्थलों के चयन, चयनित स्थलों में लगाए जाने वाले पौधों के प्राक्कलन, पौधों की आपूर्ति के लिए नर्सरियाँ चिन्हित करने और वृक्षारोपण के निष्पादन के लिए उत्तरदायी कर्मियों का विस्तृत विवरण देते हुए कार्य योजना तैयार की जा सकती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किए गए 22 जिलों में से 20 जिलों में ग्राम्य विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.) द्वारा वृक्षारोपण के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गयी थी। दो जिलों–लखनऊ एवं खीरी ने केवल एक वर्ष[4] के लिए ब्लॉक–वार कार्य योजना तैयार की थी। इस प्रकार, ग्रा.वि.वि. ने शासनादेश का उल्लंघन करते हुए कार्य योजना तैयार किए बिना वृक्षारोपण कार्य किया। शेष 20 जिलों में कार्य योजना तैयार न करने के लिए लेखापरीक्षा को कोई कारण नहीं बताया गया।

अग्रेतर, कार्य योजना 2018–19 में खीरी जिले के सभी चार ब्लॉकों एवं कार्य योजना 2021–22 में लखनऊ के आठ ब्लॉकों में से चार में पौधों की प्राप्ति के लिए नर्सरियाँ चिन्हित नहीं की गयी थी।

इस प्रकार, कार्य योजना के अभाव में, इन जिलों में वृक्षारोपण गतिविधियाँ अवैज्ञानिक और अव्यवस्थित तरीके से की गयीं।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) के दौरान ग्रा.वि.वि. ने कहा कि वृक्षारोपण कार्यों को सम्मिलित करते हुये कार्य योजना को ग्राम–पंचायत स्तर पर तैयार और संरक्षित किया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा अनुरोध करने पर भी विभाग, उनकी कही गयी ग्राम–पंचायत स्तर पर तैयार की गयी कार्य योजना को लखनऊ और खीरी जिलों में एक वर्ष को छोड़कर प्रस्तुत करने में विफल रहा।

कार्य योजना के निर्देशों का पालन नहीं किया जाना

2.7 वन प्रभागों की कार्य योजना को अनुमोदित करते समय, एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार ने निर्धारित किया कि केंद्र सरकार की पूर्व अनुमोदन के बिना कार्य योजना के निर्देशों से किसी भी विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अग्रेतर, इसमें कहा गया है कि कार्य योजना के निर्देशों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए और कंपार्टमेंट हिस्ट्री एवं कंट्रोल फॉर्म[5] के वार्षिक अद्यतनीकरण की प्रणाली अस्तित्व में होनी चाहिए। राज्य सरकार पर्याप्त बजटीय प्रावधान सुनिश्चित करेगी ताकि धन की कमी विचलन का कारण न बने। लेखापरीक्षा ने अनुमोदित कार्य योजना के निर्देशों से निम्नलिखित विचलन देखेः

कार्य योजना में चिन्हित क्षेत्र से अधिक वृक्षारोपण

2.7.1 वन प्रभागों के कार्य योजना में, कार्य योजना की संपूर्ण प्रचलन अवधि के लिए वृक्षारोपण करने हेतु ब्लॉक वार वृक्षारोपण कूपों को चिन्हित किया जाता है। अग्रेतर, कार्य योजना के अनुमोदन में निर्धारित शर्तों के अनुसार, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कार्य योजना के निर्देशों से किसी भी विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 18 वन प्रभागों के 537 वन ब्लॉकों में, उनसे सम्बन्धित कार्य योजना के अनुसार 6,792.070 हेक्टेयर क्षेत्र की खाली भूमि वृक्षारोपण के लिए चिन्हित की गयी थी। तथापि, विभाग ने वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान 21,984.360 हेक्टेयर क्षेत्र में, जो कि कार्य योजना में चिन्हित क्षेत्र से 15,192.290 हेक्टेयर

---

[4] खीरी (वर्ष 2018–19 के लिये 15 ब्लॉकों में से 4 ब्लॉकों हेतु कार्य योजना) एवं लखनऊ (वर्ष 2021–22 के लिये सभी आठ ब्लॉकों हेतु कार्य योजना)।

[5] कंट्रोल फॉर्म कार्य योजना की अवधि के दौरान वार्षिक आधार पर अनुश्रवण, मूल्यांकन और प्रतिवेदित किए जाने वाले प्रत्येक कार्यवृत्त के लिए सभी निर्देशों/सुझावों के लिए निष्पादन मापदण्ड/लक्ष्य/एनोटेशन/मानदण्ड प्रदान करते हैं।

(परिशिष्ट–2.2) अधिक था, एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार द्वारा विचलन के पूर्व अनुमोदन के बिना वृक्षारोपण किया। इस प्रकार, कार्य योजना के निर्देशों का पालन किए बिना वृक्षारोपण किया गया।

वन विभाग ने उत्तर (अप्रैल 2023) में, कहा कि पारिस्थितिक और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से हरित आवरण में वृद्धि के लिए प्रभागों को वृक्षारोपण लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं। तदनुसार, कार्य योजना के निर्देशों के अनुसार, बंजर भूमि, कम घनत्व वाले वन क्षेत्रों, खुले एवं अवनत वन क्षेत्रों पर वृक्षारोपण किया जाता है। अग्रेतर, विभाग ने 12 प्रभागों के सम्बन्धित कार्य योजना में निर्देशों को उद्धृत करते हुए कहा कि इन प्रभागों की कार्य योजनाओं में कोई वृक्षारोपण कूप नहीं बनाया गया है एवं वृक्षारोपण स्थलों की पहचान और वार्षिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को सम्बन्धित डीएफओ के विवेक पर छोड़ दिया गया है। अतः, इन प्रकरणों में वृक्षारोपण कार्य योजना के निर्देशों के अनुसार था एवं एमओईएफ और सीसी, भारत सरकार से विचलन हेतु किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी। विभाग ने अग्रेतर कहा कि ऐसे प्रकरणों में जहाँ सम्बन्धित कार्य योजना में चिन्हित वृक्षारोपण कूप क्षेत्र से अधिक वृक्षारोपण किया गया था, को विचलन के अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) के दौरान, विभाग ने कहा कि सम्बन्धित प्रभागों को विचलन का अनुमोदन प्राप्त करने का निर्देश दिया जाएगा।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा आपत्ति में लिए गए सभी प्रकरण उस अवधि के थे जिसमें सम्बन्धित कार्य योजनाओं में वार्षिक वृक्षारोपण कूप चिन्हित किये गए थे और वृक्षारोपण के सम्बन्ध में कोई विवेकाधिकार सम्बन्धित डीएफओ पर नहीं छोड़ा गया था। इसलिए, इन विचलनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता थी।

टीक (सागौन) का वृक्षारोपण

2.7.2 ललितपुर वन प्रभाग के 2007–08 से 2016–17 और 2019–20 से 2028–29 की अवधि के लिए अनुमोदित कार्य योजना एवं 2017–18 से 2018–19 के लिए अनुमोदित कार्य स्कीम के टीक वर्किंग सर्कल (सागौन कार्यवृत्त) में सागौन के रोपण के लिए कुछ वन ब्लॉक निर्धारित किए गए थे, जिसमें कम से कम 65 प्रतिशत सागौन का रोपण किया जाना था और शेष वृक्षारोपण अन्य स्वदेशी पौधों का किया जाना था। इसी तरह, ओबरा वन प्रभाग के वर्ष 2013–14 से 2022–23 की अवधि के लिए अनुमोदित कार्य योजना में, न्यूनतम 200 सागौन पौधे प्रति हेक्टेयर के रोपण के साथ कुछ वन ब्लॉक को सागौन के रोपण के लिए चिन्हित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2016–17 से 2021–22 के दौरान, ललितपुर प्रभाग के चांदपुर, चढ़रा एवं कुर्रट वन ब्लॉकों में आने वाली 127 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न प्रजातियों के 92,000 पौधे लगाए गए, जबकि ओबरा प्रभाग के हथवानी, बकिया एवं सागरदह वन ब्लॉकों के 140 हेक्टेयर में विभिन्न प्रजातियों के 65,060 पौधे लगाए गए। वन विभाग द्वारा सम्बन्धित कार्य योजना के निर्देशों के अनुसार, ललितपुर प्रभाग के उपरोक्त वन ब्लॉकों में सागौन के न्यूनतम 59,800 पौधे (92,000 पौधों का 65 प्रतिशत) एवं ओबरा प्रभाग के उपरोक्त वन ब्लॉकों में सागौन के 28,000 पौधे (200 x 140 हेक्टेयर) लगाए जाने की आवश्यकता थी। इसके बजाय, केंद्र सरकार की पूर्व अनुमोदन के बिना कार्य योजना के निर्देशों का विचलन कर ललितपुर एवं ओबरा वन प्रभागों के उक्त वन ब्लॉकों में क्रमशः सागौन के केवल 30,328 और 4,645 पौधे **(परिशिष्ट–2.3)** लगाए गए थे। इस प्रकार, कार्य योजना के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए उक्त प्रभागों में 52,827 सागौन के पौधे[6] कम लगाए गए थे। दोनों प्रभागों द्वारा लेखापरीक्षा को विचलन का

[6] 87,800 – 34,973 = 52,827 सागौन के पौधे।

कोई कारण नहीं बताया गया। केंद्र सरकार से विचलनों का अनुमोदन भी नहीं लिया गया था।

उत्तर (अप्रैल 2023) में, लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए विभाग ने कहा कि विशिष्ट प्रजातियों का निर्धारित संख्या में रोपण न करने के प्रकरण के सम्बन्ध में विचलन विवरण अनुमोदन प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

तथापि, तथ्य यह है कि इन प्रकरणों में, सम्बन्धित कार्य योजना के निर्देशों से विचलन के लिए सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है जो प्राप्त नहीं किया गया था।

बांस का वृक्षारोपण

2.7.3 ओबरा वन प्रभाग की कार्य योजना (अवधि 2013–14 से 2022–23 के लिए) एवं ललितपुर वन प्रभाग की कार्य योजना (अवधि 2007–08 से 2016–17 एवं 2019–20 से 2028–29 के लिए) में, बैम्बू वर्किंग सर्किल (बांस कार्यवृत्त) में निर्धारित किया गया है कि बांस की सतत् प्राप्ति और उपयोग के लिए बांस के वन को वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित किया जाएगा। अग्रेतर, ओबरा प्रभाग की कार्य योजना में निर्धारित था कि बांस वन क्षेत्र में चिरौंजी, आंवला, अमलतास, नीम, बेल, कंजी, खैर, बबूल, जंगल जलेबी आदि प्रजातियों को अधिकतम 15 प्रतिशत तक लगाया जाना था। ललितपुर प्रभाग की कार्य योजना के अनुसार, बांस वन क्षेत्रों में केवल बांस लगाया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2016–17 से 2021–22 के दौरान ओबरा प्रभाग के तरिया रेंज के बांस क्षेत्र में अनुमन्य 15 प्रतिशत के स्थान पर 98 प्रतिशत मिश्रित प्रजातियों का रोपण हुआ। अग्रेतर, ललितपुर प्रभाग में, कार्य योजना के प्रावधानों के उल्लंघन में केवल बांस के रोपण के लिए विशेष रूप से चिन्हित क्षेत्रों में मिश्रित प्रजातियों के 91 प्रतिशत पौधे लगाए गए थे **(परिशिष्ट–2.4)**।

इस प्रकार, दोनों वन प्रभाग केंद्र सरकार के अनुमोदन के बिना अपने कार्य योजना के निर्देशों से विचलित हो गए तथा बांस की सतत् प्राप्ति और उपयोग के लिए बांस वन के वैज्ञानिक प्रबंधन में भी विफल रहे।

उत्तर (अप्रैल 2023) में, वन विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा कि कार्य योजना के निर्देशों से विचलन के प्रकरणों को अनुमोदन के लिए सक्षम स्तर पर भेजा जाएगा और बांस वृक्षारोपण हेतु चिन्हित क्षेत्रों को स्थल विशिष्ट योजना तैयार करके प्रबंधित किया जाएगा।

तथापि, तथ्य यह है कि इन प्रकरणों में, सम्बन्धित कार्य योजना के निर्देशों से विचलनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता थी जो प्राप्त नहीं की गयी थी।

संस्तुति

1. ***वन विभाग/ग्राम्य विकास विभाग राज्य में वन के सतत् प्रबंधन के लिए वैध कार्य योजनाएं समय पर तैयार कर सकते है और उनके निर्देशों का कठोरता से पालन कर सकते है।***

राज्य में अभिलिखित वन आवरण में कमी

2.8 उत्तर प्रदेश वन नीति, 2017 के अनुसार, राज्य को राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के लक्ष्य के अनुसार 33 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को वन आवरण के अन्तर्गत लाने का प्रयास करना था। फलस्वरूप, वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्विभागीय सहयोग से वनीकरण और वृक्षारोपण गतिविधियों के कार्यान्यवन एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रभागों के वृक्षारोपण अभिलेख और भारतीय राज्य वन रिपोर्ट (आईएसएफआर), 2021 के अनुसार, राज्य वन नीति, 1998 और संशोधित राज्य वन

नीति 2017 के कार्यान्वयन, वृक्षारोपण गतिविधियों के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति के गठन और वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक पिछले छः वर्षों के दौरान वृक्षारोपण और वन संरक्षण पर ₹ 3,459.69 करोड़[7] की धनराशि व्यय करने के बावजूद, राज्य में अभिलिखित वन क्षेत्र के अंदर वन आवरण में वर्ष 2017 में 9,243 वर्ग किलोमीटर से वर्ष 2021 में 9,143 वर्ग किलोमीटर तक 100 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई। अभिलिखित वन क्षेत्र के अंदर और बाहर वन आवरण नीचे **तालिका 2.3** में वर्णित है।

तालिका 2.3: अभिलिखित वन क्षेत्र के अंदर/बाहर वन आवरण

वर्ष	राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर में)	अभिलिखित वन क्षेत्र के अंदर वन आवरण (वर्ग किलोमीटर में)	राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष प्रतिशत	अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर वन आवरण (वर्ग किलोमीटर में)	राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष प्रतिशत
2017	2,40,928	9,243	3.84	5,436	2.26
2019	2,40,928	9,195	3.82	5,611	2.33
2021	2,40,928	9,143	3.79	5,675	2.36
		कमी 100 वर्ग किलोमीटर		**वृद्धि 239 वर्ग किलोमीटर**	

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि अभिलिखित वन क्षेत्र के अंदर वन आवरण 2017 से घट रहा था, तथापि, इन पाँच वर्षों में अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। यह इंगित करता है कि वन विभाग के पास उपलब्ध वृहद संसाधन और धन व्यय करने के बावजूद अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अभिलिखित वन क्षेत्र में राज्य के वन आवरण को बढ़ाने में सफल नहीं हो सका। इसके विपरीत, अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर वन आवरण में, जहां वन विभाग का कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है, पिछले वर्षों की तुलना में हरित आवरण में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की गयी थी।

उत्तर में (अप्रैल 2023), विभाग ने अभिलिखित वन क्षेत्र के अन्दर वन आवरण में कमी का कारण उपग्रह डाटा के संग्रह की अवधि, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक और कार्य योजना के प्रावधानों के अनुसार अनुमत पेड़ों की खेपों का निःशेष पातन जैसी गतिविधियों को बताया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2017, 2019 और 2021 के लिए वन मानचित्रण के लिए एकत्र किया गया उपग्रह डाटा आईएसएफआर के प्रकाशन से दो वर्षों पूर्व अक्टूबर से दिसम्बर की अवधि से सम्बन्धित थे। रिपोर्ट, 2017, 2019 और 2021 के लिए वन आवरण के मानचित्रण के लिए एफएसआई द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक भी समान थी। अग्रेतर, पेड़ों का निःशेष पातन वन आवरण में कमी का कारण नहीं हो सकता है क्योंकि विभाग ने अभिलिखित वन क्षेत्र में वर्ष 2013 से 2016[8] की अवधि के दौरान 2,02,874 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया है, जिसका वन आवरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए था।

वानिकी क्षेत्र को पर्याप्त बजट का आवंटन न होना

2.9 राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में परिकल्पना है कि पर्याप्त पैमाने पर वित्तीय और अन्य संसाधनों के निवेश के बिना नीति के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आवश्यक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं एवं जीवन समर्थन प्रणालियों को बनाए रखने और आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने में वनों के योगदान को देखते हुए ऐसा निवेश वास्तव में पूर्ण रूप से न्यायोचित है। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति, 2017 भी

---

[7] राज्य कैम्पा के अन्तर्गत वृक्षारोपण पर ₹ 1,216.79 करोड़ के व्यय को सम्मिलित करते हुए।

[8] वृक्षारोपण को वन कैनोपी में विकसित करने के लिए दो वर्षों की अवधि (एसओआर के अनुसार रखरखाव अवधि) को ध्यान में रखते हुए, 2013 से 2016 के दौरान किए गए वृक्षारोपण के परिणामस्वरूप आईएसएफआर 2019 और 2021 के लिए क्रमशः अक्टूबर–दिसम्बर 2017 और 2019 में एकत्र किए गए उपग्रह डेटा में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई होगी।

निर्धारित करती है कि राज्य सरकार वन विभाग के बजट में राज्य बजट परिव्यय का 2.5 प्रतिशत तक आवंटित करने का प्रयास करेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विगत पाँच वर्षों में राज्य बजट के परिव्यय के सापेक्ष वन विभाग का बजट परिव्यय नीचे **तालिका 2.4** के अनुसार बहुत कम था।

तलिका 2.4: वन विभाग को आवंटित बजट

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वन विभाग के लिए वृक्षारोपण लक्ष्य (लाख में)	कुल राज्य बजट परिव्यय	वन विभाग को आवंटन	राज्य बजट परिव्यय के सापेक्ष प्रतिशत	नीति के अनुसार आवंटित किया जाने वाला बजट (2.5 प्रतिशत)
2016-17	500.00	3,87,828.63	1,393.26	0.36	9,695.72
2017-18	430.00	4,28,645.12	980.28	0.23	10,716.13
2018-19	429.51	4,99,136.11	1,105.71	0.22	12,478.40
2019-20	700.00	5,26,809.22	1,731.74	0.33	13,170.23
2020-21	900.00	5,44,571.20	1,369.88	0.25	13,614.28

उपरोक्त तालिका से, यह स्पष्ट है कि राज्य में वन विभाग का बजट परिव्यय वांछित 2.5 प्रतिशत के सापेक्ष राज्य के कुल बजट परिव्यय का केवल 0.22 से 0.36 प्रतिशत की सीमा तक था। यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले पाँच वर्षों में वन विभाग की वृक्षारोपण गतिविधियों में वार्षिक वृक्षारोपण लक्ष्यों के अनुसार लगभग दोगुना वृद्धि हुई है, लेकिन इन वर्षों में बजटीय आवंटन 0.4 प्रतिशत से कम रहा है।

विभाग ने उत्तर में (अप्रैल 2023) बताया कि राज्य सरकार उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों को बजट स्वीकृत करती है। संसाधनों पर प्राथमिक मांग विकासात्मक परियोजनाओं एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए रहती है और ऐसी परिस्थिति में, राज्य सरकार अपने विवेक से विभाग के लिए बजट तय करती है। फिर भी, विभाग समय से बजट प्रस्ताव के माध्यम से मांग करता है।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा कि यह नीति से सम्बन्धित है।

उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। अतः उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति, 2017 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वानिकी क्षेत्र के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान किया जाना आवश्यक था।

वन संरक्षण कोष नहीं बनाया जाना

2.10 वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति, 2017 में कहा गया है कि वाह्य स्रोतों से प्राप्त धन के लिए वन संरक्षण कोष बनाया जाएगा जिसमें उद्योगपति/निजी संस्थानों/व्यक्तियों से प्राप्त सभी धन जमा किया जाएगा और उसका उपयोग वन एवं वन्य जीव के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु किया जाएगा। ''पाल्यूटर्स पे'' के सिद्धांत पर प्रदूषणकारी एजेंसियों, खननकर्ताओं, वाहनों की बिक्री आदि पर उपकर लगाकर इस कोष में धनराशि संग्रहित की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संशोधित वन नीति लागू होने के पाँच वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी अब तक (मार्च 2023) ऐसा कोई कोष नहीं बनाया गया था। संरक्षण कोष यदि बनाया गया होता, तो इससे वनों की सुरक्षा और विकास में सुगमता होती।

वन विभाग ने उत्तर में (अप्रैल 2023) कहा कि वन संरक्षण कोष का गठन एक नीतिगत मामला है। कोष बनाने का प्रस्ताव सरकार को प्रेषित किया जा रहा है। एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) में सरकार/विभाग द्वारा इसी को दोहराया गया था।

वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय का अतिरेक

2.11 सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (जीएफआर) के नियम 62 (3) के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय के अतिरेक को वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का उल्लंघन माना जाएगा। वित्त मंत्रालय (भारत सरकार) वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के साथ–साथ वर्ष के अंतिम माह में व्यय की सीमा को विनियमित करने के लिए समय–समय पर दिशा–निर्देश निर्गत करता है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (27 दिसम्बर 2019) ने पिछले वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय की सीमा को संशोधित कर 33 प्रतिशत से 25 प्रतिशत एवं अंतिम माह अर्थात् मार्च में 15 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कर दिया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नमूना जाँच किए गए 23 वन प्रभागों ने वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का पालन नहीं किया और वित्तीय वर्षों के अंतिम माह में व्यय का अतिरेक किया। वर्ष–वार बजट आवंटन एवं मार्च माह में किया गया व्यय नीचे **तालिका 2.5** में दिया गया है।

तालिका 2.5: वार्षिक व्यय की तुलना में मार्च में व्यय की तुलना

(₹ करोड़ मे)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल व्यय	155.93	84.39	106.08	197.98	250.39	284.71
मार्च माह में व्यय	54.03	16.24	35.71	75.07	70.04	113.68
मार्च में व्यय का प्रतिशत	34.65	19.24	33.67	37.92	27.97	39.93

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वन प्रभागों द्वारा वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान मार्च माह में वार्षिक बजट का 19 से 39 प्रतिशत भाग व्यय किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि वृक्षारोपण संहिता के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक वृक्षारोपण अभियान एवं 15 अगस्त के आसपास प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण सप्ताह को सम्मिलित करते हुये वृक्षारोपण की प्रमुख गतिविधियाँ सामान्यतः प्रत्येक वर्ष जुलाई–अगस्त के माह में आयोजित की जाती हैं। इसलिए, मार्च माह में किया गया व्यय का अतिरेक न्यायोचित नहीं था।

उत्तर में (अप्रैल 2023) एवं एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि समय पर बजट व्यय करने के निर्देश सभी डीडीओज़ को समय–समय पर निर्गत किए जाते हैं। कोषवाणी वेबसाइट आने के बाद स्थिति में सुधार हो रहा है।

तथ्य यह है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय का अतिरेक वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान बना रहा जैसा कि उपरोक्त **तालिका 2.5** से स्पष्ट है।

संस्तुति

2. राज्य सरकार वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय के अतिरेक को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट दिशा–निर्देश निर्गत कर सकती है।

वार्षिक वृक्षारोपण लक्ष्यों की उपलब्धि की त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग

2.12 भारत सरकार (2004) द्वारा निर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत दिशा–निर्देश और स्पष्टीकरण की हस्तपुस्तिका के प्रस्तर 3.4 के अनुसार, प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) स्पष्ट रूप से अतिरिक्त वृक्षारोपण गतिविधि होनी चाहिए न कि वार्षिक वृक्षारोपण कार्यक्रम के हिस्से का विचलन। सीए योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण प्रयोक्ता एजेंसियों (यूए) की लागत पर, इन प्रयोक्ता एजेंसियों को वन भूमि के व्यपवर्तन के कारण हुई हानि की भरपाई करने के लिये किया जाता है। अग्रेतर, वृक्षारोपण के

पश्चात्, वृक्षारोपण को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए लगातार तीन से पाँच वर्षों तक बीटिंग अप[9] किया जाता है।

बीटिंग अप मृत पाए गए पौधों को प्रतिस्थापित करने के लिए के लिए पहले से किए गए वृक्षारोपण की अनुरक्षण गतिविधि का हिस्सा है एवं इसे अगले तीन से पाँच वर्षों तक किया जाना आवश्यक होता है। अतः इसे वृक्षारोपण के लक्ष्य प्राप्ति का भाग नहीं माना जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने सीए एवं बीटिंग अप दोनों के अन्तर्गत किये गए वृक्षारोपण को अपनी उपलब्धि में सम्मिलित किया था, जैसा कि नीचे वर्णित है:

- राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण राज्य एवं प्रत्येक जिले के लिए वार्षिक आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रभागीय वन अधिकारियों और अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 12 वन प्रभागों ने वर्ष 2016–17 से 2018–19 के दौरान गैर–वन उपयोग के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के बदले सीए के अन्तर्गत लगाये गये 14.79 लाख पौधों को वन विभाग द्वारा वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सम्मिलित किया गया था जो कि उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकार्य नहीं था क्योंकि गैर–वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के कारण वनों की हानि की भरपाई के लिए सीए योजना के अन्तर्गत किए गए वृक्षारोपण को वार्षिक वृक्षारोपण कार्यक्रम के भाग के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, राज्य में वन प्रभागों के लिए वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि 14.79 लाख पौधों की सीमा तक बढ़ा दी गयी थी **(परिशिष्ट–2.5)**।

- दो वन प्रभागों ने अपने लिए निर्धारित वार्षिक वृक्षारोपण लक्ष्यों की उपलब्धि में वृक्षारोपण के दौरान बीटिंग अप में उपयोग किए गए पौधों की संख्या को सम्मिलित कर लिया था, जो कि उचित नहीं था क्योंकि यह वृक्षारोपण अनुरक्षण अवधि के दौरान मृत पाए गए पौधों को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इन दोनों प्रभागों ने नीचे **तालिका 2.6** में दिए गए विवरण के अनुसार 1,96,662 पौधों तक लक्ष्य की बढ़ी हुई उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया।

तालिका 2.6: वृक्षारोपण के लक्ष्य की कम उपलब्धि

(पौधों की संख्या)

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	वृक्षारोपण वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	बीटिंग अप के रूप में वृक्षारोपण	लक्ष्य की कम उपलब्धि
1	डीएफओ हमीरपुर	2018-19	16,09,042	16,09,220	1,49,250	1,49,072
2	डीएफओ महोबा	2018-19	6,36,090	6,36,138	47,638	47,590
योग			**22,45,132**	**22,45,358**	**1,96,888**	**1,96,662**

स्रोत: वन विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना

इस प्रकार, वन विभाग ने 14 वन प्रभागों[10] में सीए और बीटिंग अप वृक्षारोपण को गलत ढंग से सम्मिलित करके राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण लक्ष्यों की उपलब्धि को बढ़ा दिया।

विभाग ने उत्तर (अप्रैल 2023) में कहा कि वार्षिक लक्ष्यों को निर्धारित करते समय विभिन्न योजनाओं के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को भी सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार, प्रतिपूरक वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी एवं मनरेगा आदि योजनाओं के लक्ष्य को सम्मिलित करते हुये विभागीय लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। अग्रेतर, लक्ष्य प्राप्ति में पौधों की बीटिंग अप को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में, विभाग ने कहा कि वर्ष के अंत

[9] बीटिंग अप वृक्षारोपण के अगले वर्षा ऋतु में मृत पाये गये पौधों का प्रतिस्थापन है।

[10] 12 वन प्रभागों में सीए वृक्षारोपण तथा दो वन प्रभागों में पौधों के बीटिंग अप को वृक्षारोपण लक्ष्य प्राप्ति में सम्मिलित किया गया था।

में अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित होने के कारण पौधों के बीटिंग अप को सम्मिलित करके लक्ष्य प्राप्त किया गया था।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) के दौरान, विभाग ने कहा कि विभाग का वृक्षारोपण लक्ष्य सरकार द्वारा उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है ताकि उपलब्ध संसाधनों से निधि के अभिसरण द्वारा वृक्षारोपण लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सके। अग्रेतर कहा गया कि हमीरपुर एवं महोबा प्रभाग ने लक्ष्य प्राप्ति में बीटिंग अप को सम्मिलित किया परन्तु अतिरिक्त बजट की मांग नहीं की।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त दिशा–निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सीए एक अतिरिक्त वृक्षारोपण गतिविधि होनी चाहिये न कि वार्षिक वृक्षारोपण कार्यक्रम का भाग। अग्रेतर, अनुरक्षण गतिविधि के अन्तर्गत बीटिंग अप के लिए उपयोग किए गए पौधों को वृक्षारोपण लक्ष्यों की उपलब्धि में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए था।

गौण खनिज पट्टा धारकों द्वारा अनिवार्य वृक्षारोपण न किया जाना

2.13 उ.प्र. सरकार ने अपने आदेश दिनांक 4 जून 2008 द्वारा राज्य के सभी डीएफओज़ को निर्देशित किया कि वे खनन पट्टा धारकों को निर्गत की जाने वाली एनओसी में अतिरिक्त शर्त लगाएं कि उन्हें खनन हेतु पट्टे के बराबर क्षेत्र पर या न्यूनतम एक एकड़ भूमि (खनन क्षेत्र एक एकड़ से कम होने की स्थिति में) क्षेत्र पर अपने स्वयं के कोष से सिंचाई और बाड़ लगाने की सुविधा के साथ 200 फलदार/छायादार वृक्ष प्रति एकड़ की दर से लगाने होंगे। शासनादेश ने अग्रेतर आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 12 वन प्रभागों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में खनन गतिविधियों करने के लिए 3,923.589 एकड़ भूमि पर गौण खनिज हेतु वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान 380 खनन पट्टे निर्गत किए गए थे। 380 खनन पट्टों में से, 362 खनन पट्टों में फलदार/छायादार वृक्ष लगाने की उपरोक्त शर्त के साथ सम्बन्धित डीएफओ द्वारा पट्टा धारकों को एनओसी निर्गत की गयी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इन पट्टा धारकों ने कोई वृक्षारोपण नहीं किया जैसा कि राज्य सरकार के आदेश में अपेक्षित था। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि तीन प्रभागों, अर्थात् अंबेडकर नगर, बलरामपुर एवं उरई द्वारा 145.6866 हेक्टेयर के खनन क्षेत्र के लिए 18 पट्टा धारकों को निर्गत की गयी एनओसी में उपरोक्त आदेश में अपेक्षित वृक्षारोपण के लिए अनिवार्य क्लॉज सम्मिलित नहीं किया गया था। इस प्रकार, उ.प्र. सरकार के उपरोक्त निर्देशों के अनुसार वन विभाग 3,923.589 एकड़ भूमि पर खनन पट्टा धारकों द्वारा 7,84,718 पौधों का रोपण सुनिश्चित करने में विफल रहा **(परिशिष्ट–2.6)**।

उत्तर में (अप्रैल 2023) और एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) के दौरान, विभाग ने कहा कि खनन पट्टे सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा दिए जाते हैं, वन विभाग केवल एनओसी निर्गत करता है। यह भी आश्वासन दिया गया कि एनओसी में वृक्षारोपण की शर्त सम्मिलित करने के लिए पुनः निर्देश निर्गत किया जायेगा। इस मामले को सम्बन्धित जिलाधिकारियों के समक्ष भी उठाया गया है।

उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है कि विभाग/जिलाधिकारी द्वारा पट्टा धारकों द्वारा फलदार/छायादार वृक्षों का रोपण सुनिश्चित नहीं किया गया था। अग्रेतर शासनादेश का उल्लंघन करते हुए अनिवार्य वृक्षारोपण शर्त को सम्मिलित किए बिना एनओसी देने में वन प्रभागों के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सम्यक सतर्कता नहीं बरती गयी।

नर्सरी की क्षमता से अधिक पौधे उगाना

2.14 पौधशाला दिग्दर्शिका[11] के अध्याय 2 के प्रस्तर 2.3 में यह निर्धारित किया गया कि नर्सरी क्षेत्र का लगभग 30 से 40 प्रतिशत क्षेत्र पौधे उगाने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। पौधशाला के शेष क्षेत्र का उपयोग जर्मीनेशन बेड्स, बीज और खाद के भंडारण, कर्मचारियों के रहने के क्षेत्र, वर्षा जल निकासी और नर्सरी उपकरण आदि के भंडारण के लिए किया जाना चाहिए। इसमें अग्रेतर निर्धारित किया गया कि पॉलिथीन बैग और पौधों के आकार के आधार पर एक हेक्टेयर भूमि में 13,200 से 3,20,000 पौधे उगाए जाने चाहिए।

वन रेंज में बनाये गये पौधशाला रजिस्टर की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान उपरोक्त घनत्व मानदण्डों के अनुसार 16 प्रभागों की 149 नर्सरियों में 1.22 करोड़ पौधे पौधशाला क्षेत्र की क्षमता से अधिक उगाए गए थे **(परिशिष्ट–2.7)** । नीचे दी गयी **छायाचित्र 2.1** पौध उगाने हेतु उपयोग किए जाने वाले पौधशाला क्षेत्र को दर्शाती है।

छायाचित्र 2.1: पौध उगाान के लिये उपयोग किया जाने वाला पौधशाला क्षेत्र

स्रोतः वन विभाग द्वारा प्रदत्त

उत्तर (अप्रैल 2023) में, विभाग ने कहा कि पौधशाला दिग्दर्शिका एक मार्गदर्शक अभिलेख है और इसमें निर्धारित सुझावों/निर्देशों का समय एवं परिस्थितियों के अनुसार लचीले ढंग से पालन किया जाता है। विभाग ने अग्रेतर कहा कि सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पौधशालाओं में पौधों की आवश्यकता को पूर्ण करने की दृष्टि से क्षेत्र का विस्तार किया गया है ताकि उन्हें अन्य विभागों के साथ–साथ ग्रामीणों को उनकी सुविधा के अनुसार निकटतम पौधशाला से उपलब्ध कराया जा सके।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) के दौरान, विभाग ने कहा कि अधिक वृक्षारोपण लक्ष्य के कारण पौधशालाओं में अतिरिक्त पौधे उगाए गए थे। अग्रेतर कहा गया कि नई पौधशाला स्थापना हेतु माडल प्राक्कलन निर्धारित करने वाला कार्यालय आदेश 14 अगस्त 2017 को जारी किया जा चुका है जो एक हेक्टेयर क्षेत्रफल की पौधशाला में 10 मीटर x 1 मीटर के 400 बेड्स का प्रावधान करता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पौध उगान विभाग की पौधशाला दिग्दर्शिका (पौधशाला के लिए दिशा–निर्देश) में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नहीं था।

---

[11] वन अनुसंधान वृत्त, कानपुर द्वारा 2016 में प्रकाशित विभाग की पौधशाला के लिए दिशा–निर्देश।

वृक्षारोपण कार्यों हेतु उच्च दरों पर भुगतान

2.15 सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 21 में कहा गया है कि सार्वजनिक धन से व्यय करने या अधिकृत करने वाले प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय औचित्य के उच्च मानक द्वारा निर्देशित होना चाहिए। अग्रेतर, उ.प्र. सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड–VII के प्रस्तर 138 में प्रावधान है कि कार्य या आपूर्ति के लिए ठेकेदारों को भुगतान केवल प्रभागीय अधिकारी, या अधिकृत अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किया जा सकता है और कोई भुगतान तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि मात्राओं एवं दरों के साथ ही साथ कार्य या आपूर्ति की गुणवत्ता एवं अन्य आवश्यक बातों के सम्बन्ध में दावे की सत्यता उत्तरदायी अधिकारी द्वारा स्वीकार न कर ली जाये। वन सर्किल द्वारा निर्गत दरों की अनुसूची (एसओआर) में निर्धारित किया गया है कि एसओआर में बताई गयी दरें अधिकतम होंगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सात वन प्रभागों के 37 प्रकरणों **(परिशिष्ट–2.8)** में कार्यों एवं आपूर्ति की गयी मदों के लिए एसओआर दरों की तुलना में अधिक दरों का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 27.58 लाख का अधिक भुगतान हुआ और पक्षकारों को उस सीमा तक अनुचित लाभ हुआ।

उत्तर में (अप्रैल 2023) और एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (15 अप्रैल 2023) के दौरान, विभाग ने कहा कि अनुमोदित प्राक्कलन से अधिक कोई व्यय नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा आपत्ति निर्धारित एसओआर दरों की तुलना में उच्च दरों के भुगतान से सम्बन्धित है जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अधिक भुगतान हुआ।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत वृक्षारोपण

2.16 मनरेगा के माध्यम से वृक्षारोपण का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के साथ–साथ ग्रामीण परिवारों के लिए मजदूरी–रोजगार सृजित करके ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना था।

लक्ष्य निर्धारण एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया

2.17 उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) ने वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कराया। उ.प्र. सरकार के ग्राम्य विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.) ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत एवं उ.प्र. सरकार द्वारा वन एवं ग्रा.वि.वि. को सम्मिलित करते हुए अन्य विभागों हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप वृक्षारोपण किया। वार्षिक वृक्षारोपण लक्ष्य निर्धारित करने वाले शासनादेश में विभिन्न वृक्षारोपण गतिविधियों जैसे नर्सरी की स्थापना, अग्रिम मृदा कार्य आदि को करना प्रावधानित था। जिले में वृक्षारोपण गतिविधियाँ सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति (डीपीसी) की समग्र पर्यवेक्षण में की गयीं। ग्रा.वि.वि. में वृक्षारोपण सरकारी/सामुदायिक भूमि या किसानों की भूमि पर किया गया था। वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान उ.प्र. सरकार द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण लक्ष्य में से ग्रा.वि.वि. का लक्ष्य 3,397.94 लाख पौधे थे जो राज्य के कुल वृक्षारोपण लक्ष्य का 33.53 प्रतिशत था।

वृक्षारोपण के प्राक्कलन ग्राम पंचायत–वार तैयार किये गये थे और खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय संस्वीकृति दी गयी थी। सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी बीडीओ के पर्यवेक्षणीय नियंत्रण में ग्राम पंचायत स्तर पर वृक्षारोपण कार्य संपन्न कराते हैं।

वृक्षारोपण हेतु वर्ष 2017–18 से 2018–19 के दौरान ग्रा.वि.वि. द्वारा पौधे क्रय किये गये थे। वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान वन विभाग द्वारा पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराये गये थे। वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय का भुगतान ब्लॉक स्तर पर मनरेगा निधि

से किया जा रहा था। मनरेगा के अन्तर्गत किये गये वृक्षारोपण से सम्बन्धित लेखापरीक्षा परिणाम की चर्चा निम्नलिखित प्रस्तरों में की गयी है।

पौधों की अधिक मृत्यु दर के कारण निष्फल व्यय

2.18 उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण मानदण्ड तय करने के लिए एक आदेश (10 जुलाई 2003) निर्गत किया था जिसमें प्रावधान किया गया था कि विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में मृत पौधों की बीटिंग अप अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित होगी। इसमें यह भी निर्धारित किया गया था कि प्रभागीय वन अधिकारी/प्रभागीय निदेशक व्यय के दुरुपयोग के लिए उत्तरदायित्व तय करेंगे। अग्रेतर, ग्रा.वि.वि. ने वृक्षारोपण और तीन वर्षों के लिए रखरखाव हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किए (अप्रैल 2018)।

उ.प्र. सरकार के आदेशों[12] (नवम्बर 2019) में आगे प्रावधान किया गया कि सफल वृक्षारोपण के लिए निम्नलिखित कार्य किए जायेंगेः

- सभी ग्राम पंचायतों की मासिक बैठक ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जानी थी। ग्राम प्रधान को लगाए गए पौधों की उत्तरजीविता की सूचना खण्ड विकास अधिकारी को प्रस्तुत करनी थी।

- निर्धारित प्रोफार्मा में रोपित किये गए पौधों की संख्या और उनकी उत्तरजीविता का ग्राम–वार सारांश खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) को प्रस्तुत करना था। सीडीओ हर माह पौधों की उत्तरजीविता की रिपोर्ट डीएफओ को सौंपेंगे। डीएफओ सूचनाओं का विश्लेषण करेंगे और रिपोर्ट जिला वृक्षारोपण समिति को सौंपेंगे।

- जिला वृक्षारोपण समिति (डीपीसी) को अपनी मासिक बैठकों में विभागवार लक्ष्य एवं वृक्षारोपण का अनुश्रवण कर वृक्षारोपण की सफलता को सुनिश्चित करना था तथा सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत कर निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करनी थी। अग्रेतर, रोपे गए पौधे की आगामी दो वर्षों तक या पौधे के पेड़ बनने तक सुरक्षा और रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाना था। डीपीसी की बैठक में तकनीकी सहयोग डीएफओ द्वारा दिया जाना था।

उ.प्र. सरकार के आदेश (जुलाई 2003) में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों हेतु पहले तीन वर्षों के लिए पौधों की उत्तरजीविता (बीटिंग अप से पहले) के निम्नलिखित मानदण्ड प्रावधानित हैं जैसा कि **तालिका 2.7** में दिया गया है।

तालिका 2.7: विभिन्न क्षेत्रों के लिये पौधों की उत्तरजीविता के मानदण्ड

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	वर्ष	पश्चिमी गंगेय क्षेत्र	पूर्वी गंगेय क्षेत्र	तराई क्षेत्र	विंध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र
1	0	95	95	95	95
2	1	79	90	91	75
3	2	68	83	83	69
4	3	59	76	75	64

स्रोतः वृक्षारोपण के सम्बन्ध में उ.प्र. सरकार का आदेश

वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान 22 जिलों में वृक्षारोपण और पौधों की उत्तरजीविता को नीचे **चार्ट 2.1** में दर्शाया गया है।

[12] उ.प्र. सरकार आदेश संख्या 881/81–5–2019–03/2019 दिनांक 21 नवम्बर 2019 एवं 923/81–5–2019–03/2019 दिनांक 29 नवम्बर 2019।

चार्ट 2.1: वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान 22 जिलों में वृक्षारोपण और उत्तरजीविता

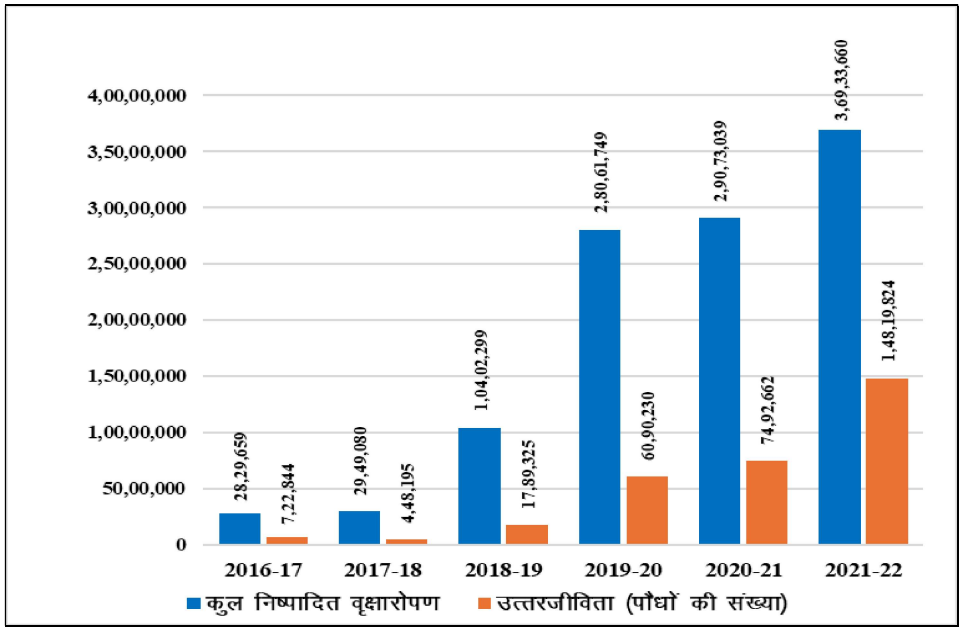

लेखापरीक्षा ने देखा कि ग्रा.वि.वि. ने नमूना जाँच किए गए 22 जिलों में वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान 11,02,49,486 पौधे का रोपण किया। तथापि, चयनित 22 जिलों में केवल 3,13,63,080 पौधे (28.45 प्रतिशत) ही जीवित थे जो निर्धारित मानदण्डों की तुलना में कम थे। यह देखा गया कि रोपे गए पौधों की खराब उत्तरजीविता का प्राथमिक कारण पौधों के रख–रखाव की कमी थी जैसे कि कम्पोस्ट खाद और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया गया था, लगाए गए पौधों को स्वयं[13] से जीवित रहने तक संरक्षित नहीं किया गया था, पौधों के सिंचाई में कमी आदि।

इस प्रकार, वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान ग्रा.वि.वि. द्वारा वृक्षारोपण पर ₹ 88.77 करोड़[14] का व्यय कम जीवितता प्रतिशत और गैर–रखरखाव/सुरक्षा की कमी के कारण निष्फल हो गया, जिसके परिणामस्वरूप असफल वृक्षारोपण हुआ **(परिशिष्ट–2.9)**।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (अप्रैल 2023) में, विभाग (ग्रा.वि.वि.) ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा कि वन विभाग द्वारा कम गुणवत्ता वाले पौधों की आपूर्ति और रखरखाव की कमी के कारण वृक्षारोपण की मृत्यु दर प्रभावित हुई।

उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है कि ग्रा.वि.वि. वृक्षारोपण के खराब रख–रखाव के कारण पौधों की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने में विफल रहा जो पौधों की उच्च मृत्यु दर में फलित हुआ। अग्रेतर, यदि वन विभाग द्वारा कम गुणवत्ता वाले पौधों की आपूर्ति की गयी थी, तो इसे वन विभाग के साथ उठाया जाना चाहिए था और इसका समाधान किया जाना चाहिए था क्योंकि वृक्षारोपण की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना ग्रा.वि.वि. का उत्तरदायित्व था।

वृक्षारोपण के रखरखाव का प्रावधान न करना

2.19 शासनादेशों (मार्च 2016 से नवम्बर 2019) में प्रावधान था कि वृक्षारोपण के रखरखाव पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

---

[13] दो वर्ष या रोपे गये पौधे के वृक्ष बनने तक।

[14] निष्फल व्यय की गणना मानदंडों से नीचे नहीं बचे पौधों की संख्या और प्रति पौधारोपण लागत को गुणा करके की गयी जैसा कि परिशिष्ट–2.9 में वर्णित है।

ग्राम्य विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.) वन विभाग द्वारा अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर वृक्षारोपण के प्राक्कलन तैयार करता है। वन विभाग द्वारा अनुमोदित मॉडल प्राक्कलनों में पौधों के रोपण और वृक्षारोपण के वर्ष से आगामी दो वर्षों तक रखरखाव का प्रावधान किया गया है। ग्रा.वि.वि. में वृक्षारोपण के प्राक्कलन ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाते है।

नमूना जाँच किए गए जिलों के वृक्षारोपण के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 13 जिलों में 125 प्राक्कलनों में, वृक्षारोपण के वर्ष से आगामी दो वर्षों तक पौधों के रखरखाव का प्रावधान वर्ष 2019–20 से 2021–22 के लिए वृक्षारोपण के प्राक्कलनों में सम्मिलित नहीं किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट–2.10** में दर्शाया गया है।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (अप्रैल 2023) में विभाग (ग्रा.वि.वि.) ने स्वीकार किया कि कुछ प्राक्कलनों में वृक्षारोपण के रखरखाव का प्रावधान नहीं किया गया था।

समूहों/व्यक्तियों को पौधों का अप्रलेखित वितरण

2.20 वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान वृक्षारोपण लक्ष्यों के आदेशों में, उ.प्र. सरकार ने प्रावधान किया कि रिक्त सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण को जनोन्मुख एवं प्रभावशाली बनाने हेतु, किसानों एवं आम नागरिकों को अपनी निजी भूमि पर वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान किया गया था। तदनुसार, सरकारी भूमि के साथ–साथ किसानों की निजी भूमि पर भी वृक्षारोपण किया गया। अग्रेतर, मनरेगा दिशा–निर्देशों एवं उ.प्र. सरकार के आदेश (अप्रैल 2018) के अनुसार कार्य के निष्पादन के लिए एमआईएस पोर्टल पर कार्य आईडी बनाई जानी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बागपत जिला में, ग्रा.वि.वि. ने एमआईएस पोर्टल पर कार्य आईडी बनाए बिना वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान समूहों/व्यक्तियों को मूल्य ₹ 68.62 लाख[15] के कुल 9,80,321 पौधे[16] वितरित किए गए, जिससे वृक्षारोपण का अनुश्रवण एवं उसकी उत्तरजीविता कठिन हो गयी।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (अप्रैल 2023) में, विभाग (ग्रा.वि.वि.) ने कहा कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समूहों/व्यक्तियों को पौधे वितरित किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पौधों का वितरण उ.प्र. सरकार के आदेश के अनुसार एमआईएस से सम्बन्धित कार्य आईडी बनाये बिना किया गया था।

निष्कर्ष

वन विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग ने कार्य योजनाओं के विलम्ब से प्रस्तुतीकरण के कारण वैध कार्य योजनाओं के बिना कार्य किया। कार्य योजनाओं के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य में अभिलिखित वन क्षेत्र में वन आवरण 100 वर्ग किलोमीटर कम हो गया जो यह दर्शाता है कि राज्य में वृक्षारोपण और वन संरक्षण के प्रयास वांछित स्तर के नहीं थे। वर्ष 2016–17 से 2020–21 के दौरान बजट आवंटन वन विभाग की वृक्षारोपण गतिविधियों में वृद्धि के अनुरूप नहीं था एवं वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय का अतिरेक था।

वन विभाग ने वन भूमि के व्यपवर्तन और बीटिंग अप के वृक्षारोपण को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण के वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि में त्रुटिपूर्ण तरीके से सम्मिलित

---

[15] पत्र संख्या 78/14-5-2016-67/87 टी.सी. दिनांक 26 अप्रैल 2016 द्वारा वन विभाग की पौधशाला द्वारा पौधों की बिक्री हेतु उ.प्र. सरकार द्वारा निर्धारित ₹ 7.00 प्रति पौधे की दर से गणना की गयी।

[16] बागपत ब्लॉक–2,25,939 पौधे, छपरौली ब्लॉक–1,52,705 पौधे, बड़ौत ब्लॉक–2,35,774 पौधे, पिलाना ब्लॉक–2,31,987 पौधे और खेकड़ा ब्लॉक–1,33,916 पौधे।

किया। विद्यमान निर्देशों के अनुसार गौण खनिज पट्टा धारकों द्वारा वृक्षारोपण सुनिश्चित नहीं किया गया।

ग्राम्य विकास विभाग वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान मानदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण की उत्तरजीविता सुनिश्चित करने में विफल रहा।